

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)न्याय/2022

जयपुर, दिनांक: 10 JUN 2022


::अधिसूचना::

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, जिनका बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा:-

क्रम संख्या	विशेष न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 प्रकरण, नागौर	नागौर (मेडता न्यायक्षेत्र)	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा

नोट:-उक्त न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियों राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,


  
(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, नागौर/मेड़ता
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
(अकित रमन)  
संयुक्त शासन सचिव